पत्रावली में पत्रावली हल्का की रिपोर्ट प्राप्त।

संक्षेप में प्रकरण में यह स्पष्ट है कि पत्रावली हल्का पटवारी ने अ. अधिशासी अभियंता को प्रेषित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आवेदक श्रीमती शरबती बानो निवासी ग्राम पोस्ट के ख.नं. 651 रकबा 5.52 ए.भू. किस्म गैर मुमकिन की भूमि पर वर्ष 2007 में मकान पंजीकृत एवं एक ट्यूबवेल अवैधानिक किया है।

इस पर आवेदक के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज होकर एक लाख रुपये जुर्माना किया गया। नोटिस की तामील हुई आवेदक उपस्थित प्रकरण पेश कर बताया आवेदक का मकान नहीं होना बताया इस पर पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट ली गई जिसके आधार अतिक्रमण का प्रकरण आवेदक पर कायम है अतः आवेदक को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखली आदेश दिया जाता है। गैरमाफ को लगान 42.34 Acm 50 रुपए 17L अर्थात् जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैरमाफ को नोटिस जारी कर बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का गोरा व TRA को लिखा जावे। पत्रावली का पालना फैसल शुमार होकर नस्ती किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

2017-18 रुपये 17L
4 केव. छ.सं. 50 दर्ज की

तहसील राजस्व तहसीलदार पेड़ा

नायब तहसीलदार
पेड़ा